

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री राजेश कुमार वर्मा, व्याख्याता, रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, बगरू, जयपुर से राउमावि, राउमावि, सावर, अजमेर किया गया। श्री राजेश कुमार वर्मा ने अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3923/2019 श्री राजेश कुमार वर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 09.12.2019 में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश करते हुए और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में 5 रिक्त पद दर्शाते हुए इसे विधिनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के निर्णय के क्रम में श्री राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं की पत्ती के शिक्षा विभाग में कार्यरत होने, बच्चों के छोटे होने तथा माताजी के बृद्ध होने के आधार पर गुरु नानक देव शिक्षा संस्थान, जयपुर/राउमावि, डीडवाना, लालसोट, दौसा/राउमावि किशनगढ़, अजमेर/राउमावि, राहुवास, लालसोट, दौसा में व्याख्याता, रसायन तलावगांव, लालसोट, दौसा की परिवेदना प्रस्तुत की।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। श्री राजेश कुमार वर्मा, व्याख्याता रसायन विज्ञान को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सहमति के आधार पर इनका समायोजन राउमावि, राहुवास, लालसोट, दौसा में व्याख्याता, रसायन विज्ञान के पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

संबंधित संस्था प्रधान इनको अविलम्ब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(हिमांशु गुप्ता) २५/१  
IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:- २५/१२/१५

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-4/रजीगृ/अभ्यावेदन/राजेश कुमार वर्मा/को.के/19-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा, दौसा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, दौसा।
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि, बगरू, जयपुर/राउमावि, राहुवास, लालसोट, दौसा।
9. कार्मिक राजेश कुमार वर्मा, व्या० रसायन विज्ञान राउमावि, राहुवास, लालसोट, दौसा।
10. गार्ड पंजिका।

संग्रहक-निदेशक (कार्मिक),  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर